**भारत सरकार**

**महिला एवं बाल विकास मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1231**

**दिनांक 16 दिसम्‍बर, 2013 को उत्तर के लिए**

**कार्यस्थल पर महिलाओं का शोषण**

**1231. श्रीमती रजनी पाटिल:**

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) : क्या विभिन्न अभिकरणों द्वारा उठाए गए अनेक कदमों के बावजूद देश में कार्यस्थलों पर महिलाओं का शोषण जारी है;

(ख) : यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं वर्तमान वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) : उक्त अवधि के दौरान विभिन्न प्राधिकरणों में दर्ज ऐसे मामलों तथा निपटान किए गए मामलों की संख्या कितनी है; और

(घ) : इस संबंध में सरकार द्वारा कौन-से कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने वाले हैं?

उत्तर

श्रीमती कृष्णा तीरथ महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

**(क) से (ग) : राष्‍ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्‍यूरो (एनसीआरबी) कार्यस्‍थल पर यौन उत्‍पीड़न से संबंधित डाटा अलग से नहीं रखता है । तथापि, गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान कार्यस्‍थल पर महिलाओं के यौन उत्‍पीड़न के संबंध में राष्‍ट्रीय महिला आयोग के यहां पंजीकृत शिकायतों का राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र वार डाटा** अनुलग्‍नक **में दिया गया है ।**

**(घ) : कार्यस्‍थल पर यौन उत्‍पीड़न के मामलों को विशाखा निर्णय में निर्धारित उच्‍चतम न्‍ययालय के दिशानिर्देशों के अनुसार निपटाया गया । अब 09 दिसम्‍बर, 2013 से कार्यस्‍थल पर महिलाओं का यौन उत्‍पीड़न(निवारण, निषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 लागू हो गया है । कार्यस्‍थल पर महिलाओं का यौन उत्‍पीड़न(निवारण, निषेध एवं प्रतितोष) नियमावली, 2013 09 दिसम्‍बर, 2013 को अधिसूचित की गई है । इस अधिनियम में महिलाओं की आयु या रोज़गार के स्‍तर पर ध्‍यान दिए बगैर सभी महिलाओं को शामिल किया गया है तथा यह सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों में, संगठित हो या असंगठित, सभी कार्यस्‍थल पर यौन उत्‍पीड़न के विरूद्ध उन्‍हें संरक्षण प्रदान करता है । आपराधिक कानून(संशोधन) अधिनियम, 2013 भी अधिनियमित किया गया है जिसके अंतर्गत यौन उत्‍पीड़न को अपराध माना गया है तथा यह किसी महिला के साथ अनुचित व्‍यवहार से संबंधित प्रावधानों के लिए दंड में वृद्धि करता है ।**

**\*\*\*\*\***